



अपवर्ड मूवमेंट हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

1. केवल वह ही अभ्यर्थी जिन्होंने आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में सफलतापूर्वक रिपोर्टिंग कर दी है, व अपनी प्रोविजनल प्रवेश स्लिप पोर्टल से प्राप्त कर ली है, अपवर्ड मूवमेंट हेतु पात्र है।
2. अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध अपवर्ड मूवमेंट के लिंक पर दिनांक 14.07.2025 से 17.07.2025 तक ऑनलाईन आवेदन करना है।
3. अपवर्ड मूवमेंट हेतु अभ्यर्थी सर्वप्रथम वेबसाइट पर उपलब्ध अपवर्ड मूवमेंट लिंक पर क्लिक करें तत्पश्चात अभ्यर्थी आवश्यक जानकारी भरकर पोर्टल पर लॉगिन करें।
4. लॉगिन के उपरांत अभ्यर्थी अपवर्ड मूवमेंट हेतु सहमति प्रदान करते हुए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओ टी पी सबमिट करें। सहमति प्रदान करने के उपरांत अभ्यर्थी यदि उसके द्वारा काउंसलिंग के समय दिए गए विकल्पों में नये अध्यापक शिक्षा संस्थानों की सूची (बिंदु संख्या 11 में वर्णित) में से नये अध्यापक शिक्षा संस्थानों के विकल्पों को जोड़ना चाहता है तब वह तदनुसार अध्यापक शिक्षा संस्थानों (केवल अद्यतित अध्यापक शिक्षा संस्थानों) के विकल्प को शामिल करते हुए अपवर्ड मूवमेंट हेतु आवेदन सबमिट करें।
5. अपवर्ड मूवमेंट हेतु अभ्यर्थी के द्वारा काउंसलिंग के समय चुने गए अध्यापक शिक्षा संस्थान चुने गए जिलों के अध्यापक शिक्षा संस्थानों तथा अभ्यर्थी द्वारा अपवर्ड मूवमेंट के दौरान चुने गए विकल्पों पर ही विचार किया जाएगा। Any Where in Rajasthan पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. अपवर्ड मूवमेंट उपरान्त परिणाम दिनांक 20.07.2025 को घोषित किया जाएगा।
7. अपवर्ड मूवमेंट के उपरान्त नवीन अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटित होने की स्थिति में अपवर्ड मूवमेंट से पूर्व आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान का आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा एवं अभ्यर्थी द्वारा पुराने अध्यापक शिक्षा संस्थान में आवंटित सीट पर दावेदारी स्वीकार नहीं की जाएगी।
8. अपवर्ड मूवमेंट के उपरान्त आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में दिनांक 21.07.2025 से 23.07.2025 तक व्यक्तिशः रिपोर्टिंग करना अनिवार्य है। व्यक्तिशः रिपोर्टिंग नहीं करने की स्थिति में अथवा रिपोर्टिंग के समय अभ्यर्थी से सम्बंधित समस्त आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी का सीट आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं उचित कार्यवाही की जाएगी।
9. अपवर्ड मूवमेंट के उपरान्त नया अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटित नहीं होने की स्थिति में पूर्व में आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान जिस पर अभ्यर्थी ने स्वयं उपस्थित होकर रिपोर्टिंग की थी, वही अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटित रहेगा। पुनः फीस भरने की आवश्यकता नहीं है।

10. कुछ अध्यापक शिक्षा संस्थानों की मान्यता NCTE द्वारा रोक ली गयी थी जिन्हें विभिन्न चरणों में बहाल कर दिया गया है तथा कुछ अध्यापक शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रोफाईल अपडेट नहीं की गयी थी जो की अब कर दी गयी है। उपरोक्त फलस्वरूप निम्न अध्यापक शिक्षा संस्थानों के विकल्प अभ्यर्थियों को अपवर्ड मूवमेंट में वरीयता चयन हेतु उपलब्ध है :-

क्रम सं.	कॉलेज कोड	अध्यापक शिक्षा संस्थानों का नाम	अध्यापक शिक्षा संस्थानों का पता	जिले का नाम
1.	812W152	MARI GOLD STC SCHOOL	NEEDARLAND, BADPIPLI, SIKAR ROAD, JAIPUR	JAIPUR
2.	812W156	RAWAT MAHILA B.ED. COLLEGE,	KARNI VIHAR, HEERAPURA, AJMER ROAD, JAIPUR	JAIPUR
3.	812C120	S.S.G.PAREEK COLLEGE OF EDUCATION	JHOTWARA ROAD, BANI PARK, JAIPUR	JAIPUR
4.	812C139	VINAYAK COLLEGE OF EDUCATION,	V&P-SUNDERPURA, KOTPUTLI, JAIPUR	JAIPUR
5.	815C108	SETH MOTI LAL TEACHERS EDUCATION COLLEGE,	INFRONT OF RANISATI TEMPLE, JHUNJHUNU	JHUNJHUNU
6.	818C114	KOTA COLLEGE OF EDUCATION, KOTA	RANPUR, KOTA	KOTA
7.	812W142	ALANKAR MAHILA TEACHERS TRAINING SCHOOL	KATARIYA KRISHI FARM, BISANAWALA, VAISHALI NAGAR, SIRSA ROAD, JAIPUR	JAIPUR
8.	817W109	R. N. MEMORIAL MAHILA S.T.C.	SECTOR NO. 2 MADHUBAN HOUSING BOARD, BASNI, JODHPUR	JODHPUR

समन्वयक
प्री डी. एल. एड. परीक्षा 2025